न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : बलदेवाराम धोजक, RAS

अपील संख्या 104/2021

1 श्रीचन्द पुत्र श्री सुरजाराम जाति जाट पेशा खेती, निवासी रेपस्वालों की ढाणी तन धमोरा तहसील उदयपुरवाटी हाल तहसील गुढागोड़जी जिला झुन्झुनू राज.।

अपीलांट

बनाम

1 किशनसिंह पुत्र श्री ओम सिंह जाति राजपूत निवासी धमोरा, तहसील उदयपुरवाटी हाल तहसील गुढ़ागौड़जी जिला झुन्झुनू राज.।

2 चन्द्र कंवर पत्नी स्व. रेवन्त सिंह जाति राजपूत निवासी धमोरा, तहसील उदयपुरवाटी हाल तहसील गुढ़ागौड़जी जिला झुन्झुनू राज.। मृतक (न्यायालय आदेश)

3 सुधीर सिंह पुत्र रेवन्त सिंह जाति राजपूत निवासी धमोरा, तहसील उदयपुरवाटी हाल तहसील गुढ़ागौड़जी जिला झुन्झुनू राज.। (मृतक जरिये विधिक प्रतिनिधिगण)

3/1 मांगू कंवर पत्नी श्री सुधीर सिंह जाति राजपूत निवासी धमोरा, तहसील उदयपुरवाटी हाल तहसील गुढ़ागौड़जी जिला झुन्झुनू राज.।

3/2 हर्षवर्धन सिंह पुत्र श्री सुधीर सिंह जाति राजपूत निवासी धमोरा, तहसील उदयपुरवाटी हाल तहसील गुढ़ागौड़जी जिला झुन्झुनू राज.।

3/3 मोहित सिंह पुत्र श्री सुधीर सिंह जाति राजपूत निवासी धमोरा, तहसील उदयपुरवाटी हाल तहसील गुढ़ागौड़जी जिला झुन्झुनू राज.।

3/4 निकिता कंवर पुत्री श्री सुधीर सिंह जाति राजपूत निवासी धमोरा, तहसील उदयपुरवाटी हाल तहसील गुढ़ागौड़जी जिला झुन्झुनू राज.।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सत्यमेव जयते
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

3/5 मोनिका कंवर पुत्री श्री सुधीर सिंह जाति राजपूत निवासी धमोरा, तहसील उदयपुरवाटी हाल तहसील गुढ़ागौड़जी जिला झुन्झुनू राज.।

4 महेन्द्र सिंह पुत्र श्री गगन सिंह जाति राजपूत निवासी धमोरा, तहसील उदयपुरवाटी हाल तहसील गुढ़ागौड़जी जिला झुन्झुनू राज.।

5 राजेन्द्र सिंह पुत्र श्रीम गन सिंह जाति राजपूत निवासी धमोरा, तहसील उदयपुरवाटी हाल तहसील गुढ़ागौड़जी जिला झुन्झुनू राज.। (मृतक जरिये विधिक प्रतिनिधिगण)

5/1 मुनिया उम्र 35 साल पत्नी राजेन्द्र सिंह जाति राजपूत निवासी धमोरा, तहसील उदयपुरवाटी हाल तहसील गुढ़ागौड़जी जिला झुन्झुनू राज.।

5/2 ललिता उम्र 15 साल पुत्री राजेन्द्र सिंह

5/3 चंचल उम्र 10 साल पुत्री राजेन्द्र सिंह

जाति राजपूत निवासी धमोरा, तहसील उदयपुरवाटी हाल तहसील गुढ़ागौड़जी जिला झुन्झुनू राज.। नाबालिग जरिये प्राकृतिक संरक्षक माता मुनिया उम्र 35 साल पत्नी राजेन्द्र सिंह जाति राजपूत निवासी धमोरा, तहसील उदयपुरवाटी हाल तहसील गुढ़ागौड़जी जिला झुन्झुनू राज.।

6 बजरंग सिंह पुत्र श्री मेघसिंह जाति राजपूत निवासी धमोरा, तहसील उदयपुरवाटी हाल तहसील गुढ़ागौड़जी जिला झुन्झुनू राज.।

7 शाखा प्रबंधक बैक ऑफ बड़ौदा शाखा उदयपुरवाटी तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनू राज.।

8 शाखा प्रबंधक राजस्थान ग्रामीण बैंक शाखा भोड़की तहसील उदयपुरवाटी हाल तहसील गुढ़ागौड़जी जिला झुन्झुनू राज.।

9 रामसिंह पुत्र श्री रघुनाथ सिंह जाति दारोगा निवासी रेपस्वालों की ढाणी तन धमोरा तहसील उदयपुरवाटी हाल तहसील गुढ़ागौड़जी जिला झुन्झुनू राज.।

10 कमला पत्नी नेतराम जाति जाट निवासी रेपस्वालों की ढाणी तन धमोरा, तहसील उदयपुरवाटी हाल तहसील गुढ़ागौड़जी जिला झुन्झुनू राज.।

11 हरलाल पुत्र सुरजाराम जाति जाट निवासी रेपस्वालों की ढाणी तन धमोरा, तहसील उदयपुरवाटी हाल तहसील गुढ़ागौड़जी जिला झुन्झुनू राज.।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी * सीकर * (झुन्झुनूं)

12 इन्द्राज पुत्र सुरजाराम जाति जाट निवासी रेपस्वालों की ढाणी तन धमोरा, तहसील उदयपुरवाटी हाल तहसील गुढ़ागौड़जी जिला झुन्झुनू राज.।

13 जगदेव सिंह पुत्र सुरजाराम जाति जाट निवासी रेपस्वालों की ढाणी तन धमोरा, तहसील उदयपुरवाटी हाल तहसील गुढ़ागौड़जी जिला झुन्झुनू राज.।

14 रामचन्द्र पुत्र नाराणाराम जाति जाट निवासी रेपस्वालों की ढाणी तन धमोरा, तहसील उदयपुरवाटी हाल तहसील गुढ़ागौड़जी जिला झुन्झुनू राज.।

15 ओमप्रकाश पुत्र नाराणाराम जाति जाट निवासी रेपस्वालों की ढाणी तन धमोरा, तहसील उदयपुरवाटी हाल तहसील गुढ़ागौड़जी जिला झुन्झुनू राज.। (मृतक जरिये विधिक प्रतिनिधिगण)

15/1 श्रीमती बंशी पत्नी ओमप्रकाश उम्र 55 साल

15/2 किशोर पुत्र ओमप्रकाश उम्र 35 साल

15/3 मुकेश पुत्र ओमप्रकाश उम्र 30 साल

15/4 नेमीचन्द पुत्र ओमप्रकाश उम्र 27 साल

15/5 मीना पुत्री ओमप्रकाश उम्र 24 साल

समस्त पेशा खेती जाति जाट निवासी रेपस्वालों की ढाणी तन धमोरा, तहसील उदयपुरवाटी हाल तहसील गुढ़ागौड़जी जिला झुन्झुनू राज.।

16 सुलतान पुत्र नाराणाराम, जाति जाट निवासी रेपस्वालों की ढाणी तन धमोरा, तहसील उदयपुरवाटी हाल तहसील गुढ़ागौड़जी जिला झुन्झुनू राज.।

17 राजेन्द्र पुत्र भागीरथ जाति जाट निवासी रेपस्वालों की ढाणी तन धमोरा, तहसील उदयपुरवाटी हाल तहसील गुढ़ागौड़जी जिला झुन्झुनू राज.।

18 मोहनी पत्नी भागीरथ जाति जाट निवासी रेपस्वालों की ढाणी तन धमोरा, तहसील उदयपुरवाटी हाल तहसील गुढ़ागौड़जी जिला झुन्झुनू राज.।

19 किस्तुरी पुत्री सुरजाराम जाति जाट निवासी रेपस्वालों की ढाणी तन धमोरा, तहसील उदयपुरवाटी हाल तहसील गुढ़ागौड़जी जिला झुन्झुनू राज.।

20 सन्तरा पुत्री सुरजाराम जाति जाट निवासी रेपस्वालों की ढाणी तन धमोरा, तहसील उदयपुरवाटी हाल तहसील गुढ़ागौड़जी जिला झुन्झुनू राज.।

21 मुन्नी पुत्री सुरजाराम जाति जाट निवासी रेपस्वालों की ढाणी तन धमोरा, तहसील उदयपुरवाटी हाल तहसील गुढ़ागौड़जी जिला झुन्झुनू राज.।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर(कैम्प झुन्झनूं)

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी * सीकर * सत्यमेव जयते

22 शाखा प्रबंधक झुन्झुनू सहकारी भूमि विकास बैंक शाखा झुन्झुनू तहसील व जिला झुन्झुनू राज.।

23 तहसीलदार कम उप पंजीयक लैण्ड होल्डर उदयपुरवाटी तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनू राज.।

24 शाखा प्रबंधक बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा मणकसास, जिला झुन्झुनू राज.।

25 लैण्ड होल्डर जरिये तहसीलदार, उदयपुरवाटी, तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनू राज.।

रेस्पोडेंट

प्रथम अपील अन्तर्गत सेक्शन 225 आर.टी.एक्ट 1955
विरूद्ध निर्णय दिनांकित 30.09.2021 न्यायालय उपखण्ड
अधिकारी उदयपुरवाटी, जिला झुन्झुनू बमुकदमा उनवानी
श्रीचन्द बनाम किशन सिंह वगैरह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत
धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
मु.नं. 37/2014 पुन दर्ज 220/2017 पुन दर्ज
56/2019 पुन दर्ज 55/2020

उपस्थिति :

1. श्री महिपाल कपुरिया, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री झाबर सिंह, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनू)

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी * सीकर *

—निर्णय—

दिनांकः— 29.8.24

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी द्वारा मुकदमा नम्बर 55/2020 में पारित निर्णय दिनांक 30.09.2021 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय में वादी अपीलांट ने एक प्रार्थना पत्र 251 ए बाबत भूमि खसरा नम्बर 747, 748, 749, 750, 764 वाके आदर्श नगर पटवार हल्का धमोरा का पेश्च किया। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया। इससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय की पत्रावली पर यह बखुबी साबित है कि प्रार्थी खेत खसरा नम्बर 747, 748, 749, 750, 764 कुल किता 5 कुल रकबा 9.57 हैक्टेयर स्थित वाके ग्राम आदर्श नगर पटवार हल्का धमोरा, तहसील उदयुपरवाटी में रिहायशी मकानात बनाकर काबिज है व कदीम खातेदार काश्तकार है। उपरोक्त आराजीयात में आवागमन हेतु खसरा नम्बर 771, 772 मौजा आदर्श नगर पटवार हल्का धमोरा की पश्चिमी सीमा के सहारे सहारे 20 फीट चौड़ाई के रास्ते से दक्षिण दिशा की उत्तरी दिशा की तरफ आवागमन सदैव से बिना किसी रूकावट के अब तक करता आ रहा है परन्तु अब तक उक्त उनवानी प्रार्थना पत्र दायरी के वक्त से रेस्पोडेन्ट अप्रार्थीगण ने उक्त रास्ते में अपीलांट/प्रार्थी के आवागमन में बाधा पहुंचाना अनाधिकृत रूप से शुरू कर दिया जबकि अपीलान्ट/प्रार्थी ही उक्त रास्ता से आवागमन कृषि उपयोग हेतु ट्रेक्टर, ऊंटगाड़ी, ट्रक, बस, मोटरगाड़ी आदि व परिवार के मृतक सदस्य को भी इसी रास्ते से हमेशा से शमसान में अंतिम संस्कार हेतु ले जाया करते है। उक्त रास्ते को अपीलान्ट/प्रार्थी ने विचारण न्यायालय में

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झनूं)

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी * सीकर * सत्यमेव जयते

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के संलग्न नजरी नक्शों में भी बिन्दु क से ख के द्वारा दर्शाया गया है तथा विचारण न्यायालय ने भी इसी रास्ते को पूर्व से अब तक उपरोक्त प्रकार से अपीलान्ट/प्रार्थी के द्वारा उपयोग व उपभोग में लिया जाना अपने उक्त निर्णय में स्वीकार किया है तथा उक्त रास्ते के अलावा अपीलान्ट/प्रार्थी के उपयोग व उपभोग में लेने का अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता होना भी नहीं माना है। उक्त रास्ते की दुगुनी राशि की डी.एल.सी रेट प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण को दिये जाने पर ही सम्भव है तथा अप्रार्थीगण की खातेदारी भी उक्त रास्ते की भूमि से खत्म होती है तथा प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत उक्त प्रार्थना पत्र स्वीकार होने पर उक्त रास्ते की भूमि को अलग से प्रार्थी की रास्ते की भूमि राजस्व रिकार्ड में बहक प्राथर्सी दर्ज होती है। अपीलान्ट/प्रार्थी द्वारा विचारण न्यायालय ने प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पटवारी हल्का की अंतिम रिपोर्ट दिनांकित 09.05.2014 की रिपोर्ट भी मौजुद है जिसमें भी अपीलान्ट/प्रार्थी के आवागमन हेतु प्रार्थी/अपीलान्ट द्वारा चाहा गया मौजुदा रास्ता ही स्वीकार किया गया है। इसी रास्ते को निकटतम व सुक्ष्म दुरी पर स्थित होना स्वीकार किया गया है तथा पटवारी हल्का भी इस मौजुदा रास्ता के द्वारा अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता प्रार्थी/अपीलान्ट उपरोक्त खेतों में आवागमन हेतु नहीं बताया गया है इसलिये कानूनन पूर्व में उपयोग में लिये जाने वाले रास्ते को भी अपीलान्ट/प्रार्थी द्वारा चाहे गये रास्ते की भूमि की कीमत दुगुनी डी.एल.सी. दर पर निर्धारित राशि खातेदार को दिये जाने पर रास्ते की भूमि दिये जाने के लिए कोई कानूनी रूकावट नहीं है। अपीलान्ट/प्रार्थी श्रीमान जी इस अपील में अर्ज करना चाहेगा कि विचारण न्यायालय में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में दर्ज अप्रार्थीगण नम्बर 4 व 7 लाऔलाद फौत हो चुके है इसलिये प्रार्थी/अपीलान्ट ने उक्त अप्रार्थी फौत हुये को इस अपील में पक्षकार नहीं बनाया है। हालांकि निर्णय में फौत दर्ज है लेकिन मृत व्यक्ति को पक्षकार बनाया जाना अवैध है इसलिये उनको स अपील के उनवान में भी इस वजह से पक्षकार दर्ज नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झनूं)

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

निर्णय विधि सम्मत नहीं है। अतः अपील स्वीकार की जावें। विद्वान अधिवक्ता ने अपने कथनों के समर्थन में धारा 251 ए के विधिक प्रावधान पेश किये।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय में प्रार्थी ने प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के जरिये ग्राम आदर्श नगर पटवार हल्का धमोरा की सरहद में स्थित वर्तमान भूमि खसरा नम्बर 748, 749, 750 में आवागमन हेतु भूमि खसरा नम्बर 771, 772 में से 20 फिट चौड़ा रास्ता चाहा है। जिसे प्रार्थना पत्र के संलग्न नजरी नक्शा में बिन्दु क से ख दर्शाया गया है। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में प्रार्थी ने अंकित किया है कि प्रार्थना पत्र के सलंग्न नजरी नक्शा में बिन्दु क से ख तक दर्शाया गया रास्ता जो कि भूमि खसरा नम्बर 771, 772 में से जाता है, से प्रार्थी आवागमन करता है, प्रार्थी अपनी काश्त की फसल लाते व ले जाते है, काश्त करवाने हेतु आवश्यक ट्रेक्टर एवं ट्राली आदि आवश्यक साधन लाते व ले जाते है अंतिम संस्कार हेतु इसी रास्ते से शमसान भूमि में जाते है, विद्युत मोटर खराब होने पर लोरिंग मशीन इस रास्ते से लाते ले जाते है। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों से जाहिर होता है कि प्रार्थी की जोतों तक पहुंचने के लिए रास्ता विद्यमान है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 ए के प्रावधानानुसार नया मार्ग तक ही कायम किया जा सकता है जब न्यायालय को यह समाधान हो जावे कि आवेदनकर्ता के पास वैकल्पिक रास्ता नहीं है, रास्ते का अभाव है, तब तक धारा 251 ए के प्रावधान लागु नहीं होते है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय ने विचाराधीन निर्णय से प्रार्थी अपीलांट का आवेदन खारिज करने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। अपील सारहीन है। खारिज की जावें। विद्वान अधिवक्ता ने अपने कथनों के समर्थन में आरआरटी 2016(1) पेज 649, डीएनजे 2017 रेव पेज 1 के न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किये।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय में प्रार्थी ने प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के जरिये ग्राम आदर्श नगर पटवार

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

हल्का धमोरा की सरहद में स्थित वर्तमान भूमि खसरा नम्बर 748, 749, 750 में आवागमन हेतु भूमि खसरा नम्बर 771, 772 में से 20 फिट चौड़ा रास्ता चाहा है। जिसे प्रार्थना पत्र के संलग्न नजरी नक्शा में बिन्दु क से ख दर्शाया गया है। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में प्रार्थी ने अंकित किया है कि प्रार्थना पत्र के सलंग्न नजरी नक्शा में बिन्दु क से ख तक दर्शाया गया रास्ता जो कि भूमि खसरा नम्बर 771, 772 में से जाता है, से प्रार्थी आवागमन करता है, प्रार्थी अपनी काश्त की फसल लाते व ले जाते है, काश्त करवाने हेतु आवश्यक ट्रेक्टर एवं ट्राली आदि आवश्यक साधन लाते व ले जाते है अंतिम संस्कार हेतु इसी रास्ते से शमसान भूमि में जाते है, विद्युत मोटर खराब होने पर लोरिंग मशीन इस रास्ते से लाते ले जाते है। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों से जाहिर होता है कि प्रार्थी की जोतों तक पहुंचने के लिए रास्ता विद्यमान है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 ए के प्रावधानानुसार नया मार्ग तक ही कायम किया जा सकता है जब न्यायालय को यह समाधान हो जावे कि आवेदनकर्ता के पास वैकल्पिक रास्ता नहीं है, रास्ते का अभाव है, तब तक धारा 251 ए के प्रावधान लागु नहीं होते है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय ने विचाराधीन निर्णय से प्रार्थी अपीलांट का आवेदन खारिज करने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। हम इसमें कोई विधिक त्रुटि नहीं पाते है। अतः इसमें हस्तक्षेप करना हम उचित नहीं समझते है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 29.8.24 को सरे इजलास सुनाया गया।

(बलदेवाराम धोजक)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झनूं)